पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 16 नवंबर, 2022

नोएडा को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने की पहल, प्राधिकरण ने विभागों को बांटे काम

● जिले में सफाई व्यवस्था पर दिया जोर

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भी प्रतिभाग कर रहा है। इस बार सर्वेक्षण में नंबर-1 का खिताब मिले इसके लिए एक बैठक सेक्टर-6 इंदिरा गांधी कलाकेंद्र में आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने विभागों को निर्देशित किया और बताया कि किस तरह से हम पहली रैंकिंग हासिल कर सकते है।

बैठक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। डीजीएम हेल्थ एसपी सिंह ने बताया कि पिछली बार जो भी गैप रहा गया था उसका एनालिसिस किया गया। साथ ही ये तय किया गया कि जहां भी कम्युनिकेशन में कमी रह गई उसको दूर किया जाएगा। इस मौके पर परियोजना अभियंता विजय रावल, आर के शर्मा मौजूद रहे।

सिविल विभाग, नोएडा क्षेत्र में कहीं भी शौचालयों एवं रोड के डिवाइडर पर टूट-फूट होती है तो उस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। उद्यान विभाग, नोएडा क्षेत्र में जहां कहीं भी गमलों की आवश्यकता हो उसकी तुरंत आपूर्ति की जाए। विद्युत एवं यांत्रिक विभाग, नोएडा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्या एवं शौचालयों में बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जाए।

जल एवं सीवर विभाग, शौचालयों में जला पूर्ति एवं सीवर संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। वर्क सर्किल एवं जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि नोएडा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बनाए रखे। प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर चलाया जाए अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णत: प्रतिबंधित करने के आदेश है।

इसका शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाए। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जाए। नोएडा में अनेक स्थानों पर सुंदर एवं आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सभी विभागों से अपील की कि अपने.अपने स्तर पर नोएडा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नंबर-1 बनाया जाए।

पहले की स्थिति

- 2019 में 150वीं रैंक
- 2020 में 25वीं रैंक प्राप्त
- 2021 में नोएडा ने क्ली नेस्ट मीडियम सिटी का अवॉर्ड
- 2022 में बेस्ट सस्टेनेबल सिटी की उपाधि हासिल
- गार्बेज फ्री शहरों की रैंकिंग में फाइव स्टार रैकिंग हासिल

तालाब की जमीन से कब्जा हटाने गई टीम के सामने हुआ हंगामा

● महिलाओं ने खुद को घर में बंद कर फूस में लगाई आग

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

खोड़ा गांव में तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान दो महिलाओं ने हंगामा करते हुए खुद को घर में बंद कर घास फूस में आग लगा दी। इसके बाद खोड़ा नगर पालिका परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई रोक दी। अधिकारियों ने सरकारी काम में बाधा डालने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में दोनों महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ खोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

खोड़ा नगर पालिका परिषद की टीम मंगलवार दोपहर खोड़ा गांव में तालाब की जमीन से अवैध हटवाने पहुंची। टीम ने चार घरों की दीवारों को जेसीबी से तोड़ा गया। इसी दौरान कविता और अनीता नाम की महिलाओं ने खुद को घर में बंद कर लिया और घास में आग लगाकर आगजनी का प्रयास किया। हालांकि आग बुझा दी गई। हंगामे के चलते अतिक्रण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ी। इसके बाद दोनों महिलाएं बाहर घर से बाहर निकलीं। नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता की शिकायत पर खोड़ा थाना पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। खोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आगजनी का प्रयास करने वाली महिलाएं कविता पत्नी पिंटू, अनीता पत्नी सुंदर के साथ तीन भाइयों. विजय, सुंदर, पिंटू पुत्र डूगर और सुबोध पुत्र बैजनाथ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सुबोध ने भी घर में आग लगाने की धमकी दी थी। अधिकारियों के मुताबिक खोड़ा गांव में तालाब की जमीन पर 19 लोगों ने कब्जा किया हुआ है।

संभव कार्यक्रम में लोगों ने दर्ज कराई शिकायतें

● कूड़े और मलबा नहीं उठने से स्थानीय लोग हो रहे परेशान

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

नगर निगम गाजियाबाद
Nagar Nigam Ghaziabad

नगर निगम गाजियाबाद सभागार में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।

संभव कार्यक्रम में लगभग सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि संभव कार्यक्रम सुबह दस बजे शुरू होकर दो बजे तक चलता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। इसी क्रम में नगर निगम में कई लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। आधा दर्जन शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थीं। इनमें कूड़ा नहीं उठाने, सीवर ओवर फ्लो और कई जगह अतिक्रमण को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है।

इनमें से कई शिकायतों का निस्तारण तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त डॉ नितिन गौड़ ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में हैं जिसके चलते वह संभव कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इसलिए संभव कार्यक्रम का आयोजन अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है।

नोएडा में ओकेजन बार लाइसेंस लेना ज़रुरी

नोएडा। शादी समारोह या किसी अन्य आयोजन में लोगों को शराब परोसनी है तो इसके लिए अब आबकारी विभाग से परमिशन लेनी होगी। डीएम सुहास एलवाई ने स्पष्ट कहा कि जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है। जिसमें शराब परोसने की शिकायत आ रही है।

ऐसा करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग से नियमानुसार ओकेजन बार लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट में जाकर आइकॉन पर क्लिक कर ओकेजन बार लाइसेंस के आइकॉन अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन करे।

एक बार फिर सगे रिश्ते हुए तार-तार

भाई के नाबालिग पोते ने 5 साथियों के साथ मिलकर की थी दादी की हत्या, पकड़े गए

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकरी में 10-11 अक्टूबर को हुई सरोज शर्मा नामक अधेड़ महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने नाबालिग समेत तीन हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा किये गये चौकाने वाले खुलासे के दौरान दादी.पोते जैसे अटूट रिश्ते एक बार फिर से टूटते दिखाई दिये। पुलिस के मुताबिक जिस महिला सरोज शर्मा की हत्या हुई वह पुत्र के प्रेम विवाह करने से बेटे व उसके पत्नी से क्षुब्ध हो गई थी। इसके बाद उसका पुत्र अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर रहने लगा था। उसी समय महिला ने अपने भाई के नाबालिग पोते अन्नू परिवर्तित नाम को अपने पास रख लिया था। कुछ समय महिला ने अपनी जमीन का हिस्सा बेचा था जिसकी एवज में उसे मोटी रकम मिली थी। इस रकम को डकारने के लिये ही अन्नू ने अपनी दादी की हत्या की साजिश रच डाली।

शातिर दिमाग अन्नू ने पिता की बहन की हत्या करने के लिये अपने साथ के चार और लडकों, युवकों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद अन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी दादी सरोज शर्मा का मर्डर 10,11 अक्टूबर को कर दिया। पुलिस के अनुसार उक्त ब्लाइंड मर्डर की रिपोर्ट मृतका के पुत्र ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज करवाई थी। पुलिस तभी से सरोज मर्डर केस का खुलासा करने का प्रयास कर रही थी। सूत्रों की माने तो इस मर्डर केस के खुलासे में एसपी देहात डॉ राजा व उनकी टीम की भी अहम भूमिका रही।

प्रॉपर्टी के चलते बेटे ने ही किया था मां का कत्ल, गिरफ्तार

गाजियाबाद। भोजुपर थाना पुलिस ने 10 नवंबर को हृदयपुर भंडोला गांव में हुई अनीसा बेगम नामक वृद्धा की हत्या का खुलासा करते हुए उसके पुत्र जावेद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वृद्धा की हत्या के पीछे मां-बेटे में प्रॉपर्टी को लेकर हुआ विवाद रहा। पुलिस की माने तो गिरफ्त में आये जावेद ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उसने अपनी मां से टेंपू दिलवाने की बात कही थी, लेकिन मां ने इन्कार कर दिया। इसके बाद पहले तो उनके बीच विवाद हुआ और फिर बेटे ने अपनी मां की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद मां ने अपने पुत्री बुला लिया। मां ने पुत्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह नहीं सुधरा तो अपनी सारी संपत्ति पुत्री के नाम कर देगी। बस तभी जावेद ने अपनी मां की हत्या करने की ठान ली। 10 नवंबर को दिन के समय जावेद ने गला घोटकर मां की हत्या कर दी और रात को उसके शव को खेत में फेंक आया। इसके बाद उसने अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिये रिपोर्ट में उनके नाम दर्ज करवा दिए। भोजपुर थाना पुलिस ने हत्या की गुत्थी तो सुलझ ली है लेकिन एक बार फिर एक बार फिर से मां और बेटे जैसे पवित्र व अटूट रिश्ता तार-तार हो गया।

मुआवजे के पैसे के बंटवारे को लेकर भाई को मारा

नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के रोजा याकूबपुर गांव में बड़े भाई के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि परिवार को मिले चार करोड़ रुपये मुआवजे के बंटवारे में उसे बराबर का हिस्सा नहीं मिलने से वह नाराज था। परिवार द्वारा उसकी पत्नी का सही इलाज भी नहीं करवाया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस बात को लेकर भी वह भाई से नफरत करने लगा था। बिसरख कोतवाली प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि रोजा याकूबपुर गांव में अनिल नागर की हत्या करने वाले आरोपी कपिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

संक्षिप्त समाचार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगा जांच शिविर, 3 हजार लोगों हुई जांच।

अपर मुख्य सचिव आज एयरपोर्ट का जाजया लेंगे

नोएडा। नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल बुधवार को जेवर एयरपोर्ट का जायजा लेंगे। वह वहां चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को जानेंगे। साथ ही, आगामी कार्यों की समय सीमा तय करेंगे। निरीक्षण के दौरान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह भी रहेंगे। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। सितंबर 2024 तक यहां से उड़ान शुरू होने की उम्मीद है।

भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने मांगी सुरक्षा

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमले के बाद से मंडल अध्यक्ष काफी भयभीत है। मंडल अध्यक्ष ने बीटा दो कोतवाली प्रभारी और डीसीपी से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष महेश चंद शर्मा ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद से वह काफी डरे हुए हैं। भाजपा नेता ने बताया कि तीन नवंबर को हमलावरों ने उनपर पिस्टल तान दी थी, जबकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शिवम और सिंगा पंडित पर हमला किया था। सिंगा पंडित को बुरी तरह पीटा गया था। इस घटना के बाद से वह काफी डरे हुए हैं। वह इस केस के वादी भी हैं।

फर्जी बिल के इस्तेमाल से आयकर की कर रहे थे चोरी

नोएडा। सेक्टर-11 स्थित कियाल एंपायर डिजाइन प्राइवेट की उत्पादन इकाई पर आयकर विभाग की कार्रवाई सोमवार को पूरी हो गई। जानकारी के अनुसार फर्जी बिल के इस्तेमाल से कंपनी आयकर चोरी कर रही थी। आयकर विभाग की टीमों ने देश में अलग.अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच टीम को कार्रवाई में पता चला है कि कंपनी माल की खरीद के फर्जी बिल इस्तेमाल करती थी। उस माल की खरीद जो कि किया ही नहीं है, उसका चेक को भुना लेती थी। कंपनी काफी समय ये यह फर्जीवाड़ा कर रही थी। जानकारी के अनुसार इसमें आयकर विभाग की टीम कारोबारी को दफ्तर बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है।

किसान आयोग बनाने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन

गाजियाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसानों को कृषि के साथ आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन किसानों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाकियू भानु ने किसान आयोग का गठन, आयोग में सभी पद पर किसानों की तैनाती, अध्यक्ष किसान, किसानों के सभी कर्ज माफ और किसानों को फसल के लिए मुफ्त बिजली की मांग रखी है। ज्ञापन देने वालों में उपाध्यक्ष केशव चौधरी, जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा, जयचंद्र प्रधान, राहुल शर्मा, विवेक यादव, संदीप कुमार, प्रमोद कुमार, जितेन्द्र शर्मा, सीमा राणा, पूनम, कपिल त्यागी, तरूण मानव, नदीम, नसीम आदि मौजूद रहे।

जागरूकता अभियान में डीसीपी ट्रैफिक ने बताए नियम

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के आईआईएमटी कॉलेज में आज यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ग्रेटर नोएडा में आईआईएमटी कॉलेज के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी ग्रेटर नोएडा उसके अलावा रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के द्वारा नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। जिसको लेकर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

अचानक बदला वेंडिंग कमेटी की बैठक का समय

गाजियाबाद। नगर निगम में आज सुबह प्रस्तावित वेंडिंग जोन की बैठक अचानक टल गई है और इसका टाइम बदल दिया गया है। अब वेंडिंग जोन की बैठक सायं को साढ़े सात बजे नगर निगम सभागार में होगी। वेंडिंग जोन की यह बैठक कई वर्ष बाद होने जा रही है। इस बैठक में ही कई वर्ष पहले शहर में पांच स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाने का फैसला लिया गया था। हालांकि, शहर में कहीं भी पास हुए प्रस्ताव के आधार पर वेंडिंग जोन नहीं बनी है। इसके बावजूद वेंडिंग जोन को लेकर जगह.जगह विवाद भी होते रहे हैं।

बस-टेम्पो की भिड़ंत में चालक की मौत, चार घायल

गाजियाबाद। गाजियाबाद से मोदीनगर आ रही एक अज्ञात बस ने एक टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि टेम्पो सवार चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादनगर की गंगाविहार कॉलोनी निवासी सूरजमल 50 टेम्पो चलाता है। मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे वह टेम्पो में सवारी लेकर मोदीनगर की ओर जा रहा था।

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/ज़मानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्ज़दार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	निशांत वर्मा/ आस्था- LBMRT00005674558	प्लॉट नंबर 131, पर निर्मित फ्लैट, ग्रीन सिटी, खसरा नंबर 328, ग्राम विद्यापुर सफियाबाद, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश/ नवंबर 10, 2022	जनवरी 29, 2022 रु. 23,09,629/-	गाज़ियाबाद/ मेरठ/ मोदीनगर

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : नवंबर 16, 2022
स्थान : गाज़ियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने का कहा गया था।

कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/ज़मानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्ज़दार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	पुष्पेंद्र चौधरी/ राजीव कुमार श्रीवास्तव/ LBDEL00002478709	फ्लैट नंबर- 1103, 11वीं मंज़िल, टॉवर- ए, अल्पाइन हाइट्स, हाउंस्लो बिल्डर्स, मेन दिल्ली रोड, राजवाड़ा फार्म हाउस के सामने, रीतानी मेरठ/ नवंबर 11, 2022	अप्रैल 30, 2019 रु. 25,08,795/-	दिल्ली/ मेरठ
2.	प्रवीण ठाकुर/ सचिन ठाकुर/ LBDEL00002392530	फ्लैट नंबर 601, छठी मंज़िल, आर्क रेजीडेंसी, ई-ब्लॉक, कमर्शियल प्लॉट पॉकेट ई शारदापुरी फेज़ 2, मेरठ, उत्तर प्रदेश/ नवंबर 11, 2022	मार्च 25, 2021 रु. 37,36,600/-	दिल्ली/ मेरठ

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : नवंबर 16, 2022
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

भौतिक कब्जा सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, शाल टावर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित कर्जदारों, (दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित अधोवर्णित समूह के संबंध में) डीएचएफएल तथा निम्नलिखित कर्जदार(रों) के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुसरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध में प्रतिभूति के प्रवर्तन के विषय में मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या (डीएचएफएल ओल्ड एलएएन एवं आईसीआईसीआई न्यू एलएएन)	सम्पत्ति का वर्णन/कब्जा की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1.	संतोष सिंह/ममता सिंह/ खाता सं. : 28300000490, खाता सं. : क्यूजैडआरओएच00005029570	पी बर 27 एवं 27-ए, तृतीय तल (फ्रंट साइड) छत के अधिकार सहित, ब्लॉक-बी, खसरा नंबर 876, गली नंबर 9, ग्राम नवादा, सेवक पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059 / 10-11-2022	28-11-2019 रू. 35,30,834/-	दिल्ली

उपरोक्त कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त राशि 30 दिन के भीतर चुकता कर दें, अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि व्यतीत होने पर उक्त बंधक रखी सम्पत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002, के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएंगी।

तिथि : 16-11-2022
स्थान : दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कार्यालय संख्या 201-बी, द्वितीय तल, रोड नंबर 1, प्लॉट नंबर बी 3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, थाने,महाराष्ट्र-400604

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, हालांकि यह सुपुर्द नहीं की जा सकी और इसलिए एतद्द्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	गोटे राहुल यशवंत/शोभा यशवंत गोटे, LBPUN00005914372/ पुणे ससवाड रोड, प्लॉट नंबर 201 डी 4 बिल्डिंग त्रिमूर्ति नगर, जकात नाका के पीछे, महाराष्ट्र, पुणे-412308	फ्लैट नंबर 104, प्रथम तल, वैष्णवी सिटी फेज नंबर 1, महिला को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, विंग "ए" एसआर नंबर 21, हिस्सा नंबर 1, मौजे उरूली देवाचिताल हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र, पुणे-412307	07-10-2022 रू. 21,65,745/-	06-08-2022

सूचना की वैकल्पिक तामील के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

तिथि : 16 नवम्बर, 2022
स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार और डीएचएफएल के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुशरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध और प्रतिभूति के प्रवर्तन के संबंध में निम्न वर्णित कर्ज़दारों को (बुनियादी समूह दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित किए जाने पर) माँग सूचनाएँ जारी की थीं, जिसमें उनसे सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने की माँग की गई थी।

कर्ज़दार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद् द्वारा कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा निम्न वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

कर्ज़दार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

क्र.	कर्ज़दार का नाम/(ऋण खाता नंबर) (डीएचएफएल पुराना ऋण खाता नंबर एवं आईसीआईसीआई नया ऋण खाता नंबर)	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	माँग सूचना की तिथि/ माँग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	नीरज/ ज्योति (19600043191 & QZGRN00005035500)	प्रॉपर्टी नंबर आरजेड 136, दूसरी मंज़िल, फ्रंट साइड केएच नंबर 616 और 617, गाँव नसीरपुर, कैलाश पुरी, पालम कॉलोनी, दिल्ली/ नवंबर 10, 2022	जून 03, 2021/ ₹ 31,74,268/-	दिल्ली/ एनसीआर
2.	गौरव मदान/ पल्लवी मदान (26600001228 & QZDEL00005017511)	प्रोपटी नंबर- 24-ए, पुराना प्लॉट नंबर-24, पहली मंज़िल, रियर साइड विदाउट रूफ, ब्लॉक-बी-1, गली नंबर 5, केएच नंबर 104/13, गाँव- पालम, राजापुरी उत्तम नगर, दिल्ली/ नवंबर 10, 2022	जून 03, 2021/ ₹ 17,39,592/-	दिल्ली/ एनसीआर

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के अंतर्गत है।

दिनांक : नवंबर 16, 2022
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

सिद्ध ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आर-13, एस/एफ ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048, भारत
सीआईएन : एल34102डीएल1985पीएलसी020156
ई-मेल : sidhindia1985@gmail.com, वेबसाइट : www.sidhgroup.in
30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु
अ-लेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि लाख रु. में)

विवरण	तिमाही समाप्त 30-09-2022 (अ-लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30-09-2021 (अ-लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31-03-2022 (लेखापरीक्षित)
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	4.10	4.57	13.02
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.13	2.33	(4.27)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.13	2.33	(4.27)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.13	2.33	(4.27)
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	0.13	2.33	(4.27)
इक्विटी शेयर पूंजी	296.23	296.23	296.23
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर)			
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/-प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)			
(क) मूल :	0	0.08	-0.14
(ख) तनुकृत :	0	0.08	-0.14

नोट्स :
1. उपरोक्त परिणाम निदेशक मंडल द्वारा 14 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न उनकी बैठक में अभिलेखबद्ध किया गया था।
2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है।
3. अलेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) पर तथा कम्पनी की वेबसाइट www.sidhgroup.in पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
सिद्ध ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(अनिल शर्मा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02928210

तिथि : 14-11-2022
स्थान : दिल्ली

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879900।